न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 40/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 9.11.2021

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामेश्वर उर्फ पप्पू कुमार पुत्र श्रीलाल जाति सुनार निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड।

...अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रीलाल स्वर्णकार जाति सुनार निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर ।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक–अपीलांट
श्री मुकुट बिहारी पारेता अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट क्रम–1

::निर्णय::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर खानपुर जिला झालावाड केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पनवाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 44/अपील/16 उनवान चन्द्रप्रकाश बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर मे पारित निर्णय दिनांक 9.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 चन्द्रप्रकाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.6.2016 को नामान्तरकरण सं0 229 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत पनवाड के विरूद्ध केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पनवाड मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो एंव सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो को नजर अंदाज करते हुये अवैधानिक रूप से दिनांक 9.6.2016 को स्वीकार कर जमाबंदी के मुताबिक वर्णित नाम रामेश्वर उर्फ पप्पू कुमार के स्थान पर रेस्पो0 क्रम–1 चन्द्रप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित दिया एंव मूल नामान्तरकरण पर नोट अंकित करने का आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जो विधि एंव न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 क्रम–1 ने साईक्लोस्टाईल प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2016 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे नामा0 सं0 289 के विरूद्ध अपील पेश की जो कानूनी प्रावधानो एंव सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरित है तथा पारित आदेश मनमाना है। नामा0 सं0 289 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत के विरूद्ध दिनांक 9.6.16 को अर्थात करीब 27 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की जो सर्वथा मियाद बाहर थी। अपील के साथ कोई प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति मे अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज होने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नही किया। अपील के मामले मे कानूनी प्रावधानो के अनुसार अपील प्रस्तुत होने के बाद विपक्षी को नोटिस जारी किया जाना चाहिये अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को अथवा अपीलांट एंव अन्य सहखातेदान को कोई नोटिस जारी नही किया और मनमाने तरीके से एक तरफा रूप से दिनांक

अति. सं. आयुक्त
कोटा

9.6.2016 को ही अपील प्रस्तुत होते ही इसी दिनांक को अपील स्वीकार कर ली जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतया विपरीत है। अपीलांट रामेश्वर पप्पू कुमार सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है क्योंकि रेस्पो0 चन्द्रप्रकाश का नाम पप्पू कुमार नही है। अपीलांट रामेश्वर ही पप्पू कुमार के नाम से भी बोला जाता है। ऐसी स्थिति मे नामा0 तस्दीक करते समय नाम रामेश्वर पप्पूकुमार राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया। इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 कम–1 चन्द्रप्रकाश द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी जिससे साबित होता हो कि चन्द्रप्रकाश का नाम किसी साल सम्वत मे गलत रूप से पप्पू कुमार दर्ज कर दिया गया हो। परन्तु ऐसा कोई रेकार्ड पेश नही हुआ ऐसी स्थिति मे केवल मात्र नामान्तरकरण की अपील मे नाम परिवर्तन का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.6.2016 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश साईक्लोस्टाईल प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2016 के आधार पर नामा0 सं0 289 के विरूद्ध अपील पेश की जो कानूनी प्रावधानो एंव सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरित है तथा पारित आदेश मनमाना है। रेस्पो0 कम–1 द्वारा नामा0 सं0 289 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत के विरूद्ध दिनांक 9.6.16 को अर्थात करीब 27 वर्ष बाद राजस्व केम्प पनवाड मे अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। अपील के साथ कोई प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति मे अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज होने योग्य थी इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। बहस मे आगे बताया कि विवादित आराजी खाता सं0 331, 332 (0.9712) का अपीलांट रामेश्वर पप्पू कुमार सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है क्योंकि रेस्पो0 चन्द्रप्रकाश का नाम पप्पू कुमार नही है। अपीलांट रामेश्वर ही पप्पू कुमार के नाम से भी बोला जाता है। रेस्पो0 कम–1 चन्द्रप्रकाश द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी जिससे साबित होता हो कि चन्द्रप्रकाश का नाम किसी साल सम्वत मे गलत रूप से पप्पू कुमार दर्ज कर दिया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार अथवा अपीलांट एंव अन्य सहखातेदान को कोई नोटिस जारी नही किया और मनमाने तरीके से एक तरफा रूप से दिनांक 9.6.2016 को ही अपील प्रस्तुत होते ही इसी दिनांक को अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय मनमाने तरीके से पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2011–12 (एससी) पेज 673 आरआरटी 2010 (1) पेज 216 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिषक रेस्पो0 कम–1 ने बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा तस्दीक नामा0 289 दिनांक 16.6.89 मे रेस्पो0 कम–1 का नाम पप्पू कुमार गलत दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नाम चन्द्रप्रकाश होने से नाम शुद्धि हेतू रेस्पो0 कम–1 ने अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध नाम दर्ज करने का जेरअपील आदेश दिनांक 9.6.16 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित नही होते है क्योंकि सहखातेदारी की आराजी मे अपीलांट रामेश्वर का हिस्सा दर्ज है । अपीलांट रामेश्वर, पप्पूकुमार नही है रेस्पों कम–1 चन्द्रप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड मे तत्समय पप्पू कुमार गलत दर्ज कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से संशोधित कर दुरूस्त करने का दिनांक 16.6.89 को आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अंत मे अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर

आति. सं. आयुक्त
कोटा

आरआरटी 2011–12 (एससी) पेज 673 आरआरटी 2010 (1) पेज 216 पर गौर किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने व डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को निर्णित किया जाना न्यायोचित हैं। चूंकि जेरअपील आदेश अपीलाटस को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया अपीलांट प्रकरण मे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर न्यायहित मे अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 आलोच्य जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 कम–1 चन्द्रप्रकाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.6.2016 को नामान्तरकरण सं0 229 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत पनवाड के विरूद्ध केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पनवाड मे पेश कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध नाम दर्ज किये जाने का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9.6.2016 को केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पनवाड मे स्वीकार कर गलत नाम पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करते हुये मूल नामान्तरकरण इस आशय का नोट अंकित करते हुये पुनः नामा0 दर्ज करके अपीलांट का सही नाम चन्द्रप्रकाश दर्ज किये जाने आदेश पारित किया गया। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट ही रामेश्वर उर्फ पप्पूकुमार है। रेस्पो0 कम–1 पप्पू कुमार नही है बल्कि चन्द्रप्रकाश है। नामा0 सं0 289 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत के विरूद्ध दिनांक 9.6.16 को अर्थात करीब 27 वर्ष बाद राजस्व केम्प पनवाड मे अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। विवादित आराजी खाता सं0 331, 332 (0.9712) का अपीलांट रामेश्वर पप्पू कुमार सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है क्योंकि रेस्पो0 चन्द्रप्रकाश का नाम पप्पू कुमार नही है। अपीलांट रामेश्वर ही पप्पू कुमार के नाम से भी बोला जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना किसी भी पक्षकार अथवा अपीलांट एंव अन्य सहखातेदान को कोई नोटिस जारी किये बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मनमाने तरीके से एक तरफा रूप से दिनांक 9.6.2016 को ही अपील प्रस्तुत होते ही इसी दिनांक को अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरीत रेस्पो0 कम–1 का मुख्य तर्क रहा है कि नामा0 289 दिनांक 16.6.89 मे रेस्पो0 कम–1 का नाम पप्पू कुमार गलत दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नाम चन्द्रप्रकाश होने से नाम शुद्धि हेतू रेस्पो0 कम–1 ने अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध नाम दर्ज करने का जेरअपील आदेश दिनांक 9.6.16 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित नही होते है।

7 उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 कम–1 द्वारा नामा0 सं0 289 दिनांक 16.6.1989 ग्राम पंचायत के विरूद्ध दिनांक 9.6.16 को अर्थात करीब 27 वर्ष बाद राजस्व केम्प पनवाड मे अपील राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध नाम दर्ज किये जाने हेतु पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9.6.2016 को केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पनवाड मे उसी दिन बिना कानूनी प्रावधानो की पालना किये एंव वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारो को नोटिस जारी किये बिना ही स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकित पप्पू कुमार के स्थान पर चन्द्रप्रकाश शुद्ध किया जाकर रेस्पो0 कम–1 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करते हुये मूल नामान्तरकरण इस आशय का नोट अंकित करते हुये पुनः नामा0 दर्ज करके अपीलांट का सही नाम चन्द्रप्रकाश दर्ज किये जाने आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा कानूनी प्रावधानो का पालन किये बिना पारित किया गया है जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे किसी पक्षकार के स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक तथ्यो पर गौर नही कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खाता सं0

अति. सं. आयुक्त

331, 332 की किता 2 विवादित आराजी के नामा0 सं0 289 ग्राम पनवाड मे संशोधन करते हुये पप्पू के स्थान पर चन्द्रप्रकाश खातेदार घोषित कर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान कर मूल नामा0 पर इस आशय का नोट अंकित करते हुये पुनः नामा0 दर्ज कर सही नाम चन्द्रप्रकाश किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त अनुतोष साक्ष्य सबूत के आधार पर पक्षकारो को नोटिस जारी कर विधि सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर नियमित वाद के माध्यम से ही सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है जिसके लिये अपीलार्थी सक्षम न्यायालय मे विधि अनुसार चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2011–12 (एससी) पेज 673 आरआरटी 2010 (1) पेज 216 चस्पा होते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आलौच आदेश विधि के प्रतिकूल व न्यायालय प्रकिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आलोच्य जेरअपील आदेश 9.6.2016 अपास्त किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा